करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि (जस्टिस सूरी)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

विविध सिविल

जस्टिस डी. के. महाजन और जस्टिस सी. जी. सूरी के समक्ष

करनैल सिंह - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि - उत्तरदाता।

1967 का सीडब्ल्यू नंबर 1048

3 अक्टूबर, 1973

पंजाब भूमि राजस्व नियम - नियम 17 (ii) - भारत का संविधान (1950) - अनुच्छेद 14, 15 और 16 - ग्राम प्रधान के कार्यालय के उत्तराधिकारी का चयन - नियम 17 (ii) इस तरह के चयन को पुरुष वंशज तक सीमित रखता है या निकटतम संपार्श्विक - क्या संविधान अधिकारातीत है।

यह माना गया कि जहां ग्राम प्रधान के कार्यालय के उत्तराधिकारी को मुख्य रूप से या पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति या उसके उप-विभाजन में चुना जाना है, पंजाब भूमि राजस्व नियमों के नियम 15 के विभिन्न खंडों में उल्लिखित मानदंड हो सकते

हैं। नियमावली के नियम 17 के उपनियम(i) के तहत विचार किया गया। अन्य सभी सम्पदाओं या गाँवों या उनके उप-विभागों में उत्तराधिकारी को नियम 17 के उप-नियम (ii) के तहत नियुक्त किया जाना है और नियम 15 में मानदंड नहीं आते हैं। इस उप-नियम के तहत एक उत्तराधिकारी को ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा नियुक्त किया जाता है जब तक कि उत्तराधिकार की कोई विशेष सामाजिक प्रथा साबित न हो। ऐसे असाधारण मामलों में भी नियुक्ति चौथी या उसके निकट की डिग्री की संपार्श्विक तक ही सीमित होती है। इस प्रकार उप-नियम आनुवंशिकता के दावे को बहुत अधिक महत्व देता है और उत्तराधिकारी का चयन पुरुष वंशज या निकटतम संपार्श्विक तक ही सीमित रखने की कोशिश की जाती है। इसलिए, यह नियम आनुवंशिकता या पारिवारिक संबंध के आधार पर भेदभाव या अंतर करता है और इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों से परे है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के आदेशों को रद्द करते हुए सर्टिओरारी, मैंडामस या किसी अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को नियुक्त किया जाए। एक लम्बरदार और पंजाब भू-राजस्व

नियमों के नियम 15(ए) और 17(2) को भारत के संविधान के दायरे से बाहर घोषित करते हुए यह वंश के आधार पर भेदभाव करता है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील आर.एन. नरूला।

नौबत सिंह, जिला अटॉर्नी (हरियाणा), उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 के लिए।

निर्णय

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

जस्टिस सूरी-सिविल रिट याचिकाएँ संख्या 1967 की 1048, 1970 की 666 और 1970 की 696 जिनमें कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों में हमारे सामने आए हैं: -

(2) ये याचिकाएँ 18 मई 1970 को मेरे सामने आईं जब मैं अकेला बैठा था। अन्य बातों के अलावा, ग्राम प्रधान या लंबरदार के उत्तराधिकारी की नियुक्ति में विचार किए जाने वाले मामलों से संबंधित भूमि राजस्व नियमों के नियम 17 (ii) की शक्तियों को याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह नियम केवल एक को मान्यता

देता है। आनुवंशिकता के आधार पर दावा करना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। प्रत्येक मामले में याचिकाकर्ता ने अंतिम पदाधिकारी की मृत्यु पर ग्राम प्रधान या लंबरदार के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन नियम 17 (ii) भू-राजस्व नियमों के प्रावधानों के आधार पर मृतक के बेटे या पोते के पक्ष में उसके दावों को नजरअंदाज कर दिया गया था। चूंकि इन याचिकाओं में जिस नियम को चुनौती दी गई थी, उसके संबंध में इस न्यायालय का कोई पूर्व निर्णय नहीं था, इसलिए मेरे द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ के पास निर्णय के लिए भेजा गया था। इस तरह से याचिकाएं आज हमारे सामने आईं। चूंकि इन सभी याचिकाओं में कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए इन्हें एक साथ निपटाया जा रहा है।

(3) भूमि राजस्व नियमों से संबंधित उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं: -

"भू-राजस्व नियम 15- मुखिया की सभी पहली नियुक्तियों में अन्य मामलों के साथ-साथ- का भी ध्यान रखा जाएगा-

(ए) उसके वंशानुगत दावे;

(बी) उम्मीदवार के पास मौजूद संपत्ति में संपत्ति की सीमा;

(सी) स्वयं या उसके परिवार द्वारा राज्य को प्रदान की गई सेवाएँ;

(डी) उनका व्यक्तिगत प्रभाव, चरित्र, क्षमता और ऋणग्रस्तता से मुक्ति;

(ई) जिस समुदाय से मुखिया का चयन किया जाना है उसकी ताकत और महत्व;

(एफ) भारत की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों में स्वयं या उनके परिवार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।

पंजाब राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में किसी संपत्ति या उसके उप-विभाजन के पूर्व मुखिया के मामले में, जिसने विभाजन से पहले एक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण इस्तीफा दे दिया था या बर्खास्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर किसी अन्य मुखिया को नियुक्त किया गया था। पद पर आसीन व्यक्ति को नियम 16 □□ प्रावधानों के बावजूद हटा दिया जाएगा और पूर्व मुखिया को उसके स्थान पर नियुक्त किया जाएगा यदि उसने 15 अगस्त 1947 से पहले किसी राजनीतिक अपराध के लिए कारावास को छोड़कर नियम 16 □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□ लिए खुद को अयोग्य नहीं ठहराया है। यदि पूर्व मुखिया अब जीवित नहीं है, तो उसके परिवार का कोई व्यक्ति, जो नियमों के तहत मुखिया बनने का हकदार होता, यदि इस्तीफा या बर्खास्तगी में हस्तक्षेप न किया गया होता, मुखिया नियुक्त किया जाएगा।

लेकिन जहां ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है वहां मौजूदा लंबरदार को हटाने की कोई जरूरत नहीं होगी।

* * * * * * * * * *

भूमि राजस्व नियम 17- (i) किसी संपत्ति, या उसके उप-विभाजन में, जिसका स्वामित्व मुख्य रूप से या पूरी तरह से सरकार के पास है, मुखिया के कार्यालय के उत्तराधिकारी का चयन नियम 15 में बताए गए वंशानुगत दावों के अलावा अन्य सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :

बशर्ते कि वित्तीय आयुक्त द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित ऐसी संपत्ति या उसके उप-विभाजन में, चयन, जहां तक [illegible] (ii) [illegible] **किया जाएगा, यदि कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी आ रहा हो।**

(ii) अन्य सम्पदाओं में ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार निकटतम पात्र उत्तराधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जब तक कि पद के उत्तराधिकार की कोई सामाजिक प्रथा स्पष्ट रूप से साबित न हो, लेकिन प्रत्येक मामले में निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन होगा: -

(ए) अंतिम पदधारी के संपार्श्विक संबंध के सफल होने का दावा पूरी तरह से विरासत के आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि दावेदार अंतिम पदधारी के परदादा के पुरुष वंश का वंशज न हो।

(बी) जहां किसी मुखिया को नियम 16 ?? ?????????? ?? ??????? ????????? ?? ????? गया है, कलेक्टर उसके किसी भी उत्तराधिकारी को नियुक्त करने से इनकार कर सकता है: -

(1) यदि कर्तव्य की अवहेलना या अयोग्यता के अपराध की परिस्थितियाँ जिसके लिए मुखिया को बर्खास्त किया गया था, यह संभावना बनाती है कि वह मुखिया के रूप में अनुपयुक्त होगा;

(2) यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने उस अपराध या कर्तव्य की उपेक्षा में मिलीभगत की है जिसके लिए मुखिया को बर्खास्त कर दिया गया है;

(3) यदि कोई अयोग्यता जिसके लिए मुखिया को बर्खास्त किया गया है, उससे जुड़ी है;

(4) यदि उचित रूप से यह माना जा सकता है कि वह अवांछनीय सीमा तक बर्खास्त मुखिया या उसके परिवार के प्रभाव में है।

यदि किसी बर्खास्त मुखिया के उत्तराधिकारी को सफल होने के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो उस संपत्ति का सम्मान किया जाएगा जो उसे विरासत में मिलेगी जैसे कि उसे पहले से ही विरासत में मिली हो।

(सी) कलेक्टर किसी भी आधार पर उत्तराधिकारी के रूप में दावा करने वाले व्यक्ति को नियुक्त करने से इनकार कर सकता है जिसके लिए उस व्यक्ति को मुखिया के पद से बर्खास्त करना आवश्यक या उचित होगा।

(डी) एक महिला आम तौर पर इस पद के लिए पात्र नहीं होती है, लेकिन उसे तब नियुक्त किया जा सकता है जब वह उस संपत्ति की एकमात्र मालिक हो जिसके लिए नियुक्ति की जानी है या अन्य मामलों में विशेष कारणों से।

(iii) किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति न होने पर कार्यालय में उत्तराधिकारी की नियुक्ति नियम 15 में वर्णित तरीके से और विचारों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

(iv) * * * * * * * * *"

(4) यह स्पष्ट प्रतीत हो सकता है कि नियम 15 (सुप्रा) केवल ग्राम प्रधान या लंबरदार की सभी पहली नियुक्तियों के समय लागू होता है। इस कार्यालय में पदधारी के चयन के मामले में विचार के लिए दो और मानदंड निर्धारित करने वाले खंड (ई) और (एफ) को बाद में क्रमशः 1945 और 1954 में जोड़ा गया था। खंडों के अंतर्गत पैराग्राफ 14 जुलाई,

1954 को पंजाब सरकार (भारत) द्वारा जोड़ा गया था। इस पैराग्राफ के अंतिम दो वाक्य आनुवंशिकता या पारिवारिक संबंधों पर और अधिक जोर देते प्रतीत हो सकते हैं। नियम 15 के विभिन्न खंडों में उल्लिखित मानदंडों को नियम 17 के उप-नियम (i) के तहत ध्यान में रखा जा सकता है, जहां ग्राम प्रधान के कार्यालय के उत्तराधिकारी को मुख्य रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति या उसके उप-विभाजन में चुना जाना है। इसकी संपूर्णता सरकार द्वारा. अन्य सभी संपदाओं या गांवों या उनके उप-विभागों में उत्तराधिकारी को नियम 17 के उप-नियम (ii) के तहत नियुक्त किया जाना है और नियम 15 में उल्लिखित मानदंड इसमें नहीं आते हैं। दूसरी ओर उप-नियम कहता है कि उत्तराधिकारी को ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा नियुक्त किया जाएगा जब तक कि उत्तराधिकार की कोई विशेष सामाजिक प्रथा सिद्ध न हो जाए। ऐसी असाधारण परिस्थितियों में भी, नियुक्ति चौथी या उसके निकट की डिग्री की संपार्श्विक तक ही सीमित रहेगी। 1967 की सिविल रिट संख्या 1048 में प्रतिवादी संख्या 4 और 1970 की सिविल रिट संख्या 666 और 696 में अन्य निजी उत्तरदाताओं की नियुक्ति करते समय नियम 17 (ii) को लागू किया गया है और नियुक्त व्यक्ति या तो पुत्र है या मृतक लंबरदार का पोता । ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आनुवंशिकता का दावा अन्य सभी विचारों के विरुद्ध प्रबल है। यह सच है कि नियुक्त किये गये उत्तराधिकारी की कुछ अतिरिक्त योग्यताओं

का भी कहीं-कहीं उल्लेख किया गया है, लेकिन उनकी योग्यताओं की तुलना करके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों के दावों का कोई आकलन नहीं किया गया है। मुख्य विचार जो प्रचलित प्रतीत हो सकता है वह यह है कि चयनित व्यक्ति अंतिम पदाधिकारी के साथ रक्त संबंधों या आनुवंशिकता से जुड़ा था। हरियाणा राज्य के विद्वान जिला अटॉर्नी श्री नौबत सिंह ने तर्क दिया है कि वास्तविक व्यवहार में अन्य योग्यताओं को भी ध्यान में रखा जाता है और सभी मामलों में नियुक्तियाँ केवल आनुवंशिकता के आधार पर नहीं की जाती हैं। प्रैक्टिस अपार्ट नियम 17 (ii) आनुवंशिकता के दावे को बहुत अधिक महत्व देता हुआ प्रतीत हो सकता है और उत्तराधिकारी का चयन पुरुष वंशीय वंशज या निकटतम संपार्श्विक तक ही सीमित रखने की कोशिश की गई है। नियम 17(ii) आनुवंशिकता या पारिवारिक संबंधों के आधार पर भेदभाव या भेदभाव करता प्रतीत हो सकता है। इसलिए यह नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत हो सकता है। इस संबंध में गज़ुला दशरथ राम राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1) और असम राज्य और अन्य बनाम कनक चंद्र दत्ता (2) के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संदर्भ लिया जा सकता है।

(1) ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 564.

(2) ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 884.

श्री नौबत सिंह ने हमारे सामने ऋषिकेसवन नायडू बनाम एस. श्रीनिवास रेडियार (3) मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला दिया है, लेकिन उस मामले में तथ्य बिल्कुल अलग थे। उस मामले में जिस व्यक्ति को वंशानुगत पद के लिए चुना गया था, उसका क्षेत्र में कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। मृतक के साथ उसके पारिवारिक संबंधों की परवाह किए बिना उसे निर्विरोध चुना गया होगा। इन परिस्थितियों में यह माना गया कि आनुवंशिकता किसी विशेष पद या नियुक्ति के लिए चुने जाने के लिए अयोग्यता नहीं है।

(5) ऊपर दिए गए कारणों से, हम भूमि राजस्व नियम 17 के उप-नियम (ii) को अधिकारातीत और असंवैधानिक घोषित करते हैं। 1967 की सिविल रिट संख्या 1048 में प्रतिवादी संख्या 4, 1970 की सिविल रिट संख्या 696 में प्रतिवादी संख्या 3 और 1970 की सिविल रिट संख्या 666 में प्रतिवादी संख्या 4 की इस उप-नियम के तहत नियुक्तियाँ रद्द की जाती हैं और राज्य सरकार को सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के दावों पर विचार करने के बाद नई नियुक्तियां करने का निर्देश दिया गया है। तीन रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं लेकिन हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

(3) ए. आई. आर. 1965 एमएडी. 178.

करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, आदि (जस्टिस सूरी)
आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा